न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 257/2023

अनवान : –

1. रोहिताष पुत्र स्व0 मनरूप जाति ब्राहमण निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. सुभाष पुत्र स्व0 मनरूप जाति ब्राहमण निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. कलावती पत्नी स्व0 मनफुल जाति ब्राहमण निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. धर्मपाल पुत्र स्व0 मनफुल जाति ब्राहमण निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
3. गुडी देवी पुत्री स्व0 मनफुल जाति ब्राहमण निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
4. कृष्णा पुत्री स्व0 मनफुल जाति ब्राहमण निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
5. गिरदावरी पुत्री स्व0 मनफुल जाति ब्राहमण निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादीगण**
श्री सुबोध शर्मा अधिवक्ता **प्रतिवादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः -06/03/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 10 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 130/129 की कुल 0.6450 हैक्ट भूमि में से 14/645 हिस्सा भूमि मनफुल पुत्री हीराराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मनफुल पुत्री हीराराम के नाम दर्ज है जो कि वादीगण का पिता है मनफुल पुत्र हीराराम का देहान्त हो चुका है। मनफुल पुत्री हीराराम के जाजय वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 जो की वादीगण की माता है एवं प्रतिवादगण संख्या 2 ता 4 जो की वादीगण की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ने उक्त वाद भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग उक्त वाद भूमि में वादीगण बहिब 6/7 हिस्सा भूमि पर एवं प्रतिवादी संख्या 5 अकेल 1/7 हिस्सा भूमि पर काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादीगण के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा दो लेकिन वे आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 17:57:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 5 की तरफ से श्री सुबोध शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो कि शामिल मिसल किया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा 10 जेएसएन सम्वत 2076–79 खाता संख्या 130/129, शपथ पत्र बाबत सदस्य, मृत्यु प्रमाण पत्र मनफुल आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता मनफुल पुत्र हीराराम के नाम दर्ज है मनफुल पुत्र हीराराम का देहान्त हो चुका है। मनफुल पुत्री हीराराम के जाजय वारिसान सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 जो की वादीगण की माता है एवं प्रतिवादगण संख्या 2 ता 4 जो की वादीगण की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ने उक्त वाद भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग उक्त वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 अपने हक हिस्सा अनुसार काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिकी फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादीगण ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादीगण के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 10 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 130/129 की [illegible] 0.[illegible]0 हैक्ट भूमि में से 14/645 हिस्सा भूमि मनफुल पुत्री हीराराम के नाम [illegible] वादीगण का कथन है कि वादीगण के पिता मनफुल पुत्र हीराराम का देहान्त हो चुका है। [illegible]फुल पुत्री हीराराम के जाजय वारिसान

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 17:57:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

सजरा खानदान के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 है जो की उक्त वाद भूमि को अपने हिस्सा के अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। प्रतिवादीगण संख्या 1 जो की वादीगण की माता है एवं प्रतिवादगण संख्या 2 ता 4 जो की वादीगण की बहिने है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ने उक्त वाद भूमि में अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग उक्त वाद भूमि में वादीगण बहिब 6/7 हिस्सा भूमि पर एवं प्रतिवादी संख्या 5 अकेल 1/7 हिस्सा भूमि पर काबिज है। वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 द्वारा स्वीकार किया जाकर इकबाल जवाब पेश किया जा चुका है तथा उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र बाबत सदस्य एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा मनफुल पुत्र हीराराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 10 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 130/129 की कुल 0.6450 हैक्ट भूमि में से 14/645 हिस्सा भूमि मनफुल पुत्री हीराराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक मनफुल पुत्र हीराराम का नाम कलमजन किया जाकर बहिब 6/7 हिस्सा भूमि का वादीगण को एवं 1/7 हिस्सा भूमि का प्रतिवादीया संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 04/03/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 17:37:29 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 257 / 2023

अनवान : –

1. रोहिताष पुत्र स्व0 मनरूप जाति ब्राहमण निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. सुभाष पुत्र स्व0 मनरूप जाति ब्राहमण निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. कलावती पत्नी स्व0 मनफुल जाति ब्राहमण निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
2. धर्मपाल पुत्र स्व0 मनफुल जाति ब्राहमण निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
3. गुडी देवी पुत्री स्व0 मनफुल जाति ब्राहमण निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
4. कृष्णा पुत्री स्व0 मनफुल जाति ब्राहमण निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
5. गिरदावरी पुत्री स्व0 मनफुल जाति ब्राहमण निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 257 सन 2023 निर्णय दिनांक –04/03/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीगण श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुबोध शर्मा तथा राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 10 जेएसएन तहसील नोहर के खाता संख्या 130/129 की कुल 0.6450 हैक्ट भूमि में से 14/645 हिस्सा भूमि मनफुल पुत्री हीराराम के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में मृतक मनफुल पुत्र हीराराम का नाम कलमजन किया जाकर बहिब 6/7 हिस्सा भूमि का वादीगण को एवं 1/7 हिस्सा भूमि का प्रतिवादीया संख्या 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/03/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 17:57:29 IST
Reason: SelfAttested